

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(3)/पंचा/रानिआ/94/11/1770

दिनांक: 23/5/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन की सूचना हेतु।

प्रसंग:-संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायतीराज विभाग का पत्रांक 357/15.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंचायतीराज विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अधिसूचना के द्वारा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचों के निर्वाचनों हेतु लागू शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया गया है। अधिसूचना के प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया समस्त संबंधितों को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,



राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर